पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

68

क्रमांकः– प–10 ( )संस्थापन / प्रबंध बोर्ड / 2013–14 / 7102

दिनांकः– 12.10.2017

प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 12.10.2017 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 12.10.2017 को कुलपति सचिवालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रहीः–

1.	डॉ. बी.एल. शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	श्री रतनलाल जलधारी	मा. सदस्य (मा. विधायक, सीकर)
3.	श्री जयप्रकाश	मा. सदस्य (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सीकर)
4.	प्रो. सोमकांत भोजक	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
5.	डॉ. ए. के. गुप्ता	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
6.	डॉ. अमिता अग्रवाल	मा. सदस्य (प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर)
7.	डॉ. दिलसुख थालौड़	मा. सदस्य (डीन विधि)
8.	डॉ. राकेश कुमार	मा. सदस्य (डीन शिक्षा)
9.	डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत	मा. सदस्य (प्राचार्य, श्री भगवानदास तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़)
10.	श्री रामनिवास जाट	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं:

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक दिनांक 06.09.2017 की कार्यवाही का अनुमोदनः–

निर्णयः– सर्वानुमति से दिनांक 06.09.2017 की प्रबंध मण्डल की बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: RSRDC द्वारा नियुक्त एवं विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति द्वारा वर्णित आर्किटेक्ट, मै. डिजायन आर्किटेक्ट, जयपुर के निर्णय पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कमेटी के एजेण्डा निर्णय संख्या 01 के अनुसार मै. डिजायन आर्किटेक्ट, जयपुर की नियुक्ति की सूचना को अनुमोदित किया जाता है।

संलग्नः बिल्डिंग कमेटी से अनुमोदित एजेण्डा निर्णय संख्या 01: प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन

'सर्वानुमति से RSRDC के पत्रांक A-6 (1230) 1/17266 Date 13/09/2017 के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में निर्माण कार्य की Consultancy हेतु आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रियाधीन नियुक्ति की शर्त पर मै. डिजायन आर्किटेक्ट, जयपुर की नियुक्ति सूचना को ग्रहण किया गया तथा वास्ते सूचना एवं अनुमोदन विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल को प्रेषित करने का निर्णय किया गया।'

(67)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: आर्किटेक्ट, मै. डिजायन आर्किटेक्ट, जयपुर द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्लान एवं एलिवेशन को मय प्रस्तावित लागत पर भवन निर्माण समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णयः सर्वानुमति से आर्किटेक्ट, मै. डिजायन आर्किटेक्ट, जयपुर द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्लान एवं एलिवेशन को मय प्रस्तावित लागत पर भवन निर्माण समिति द्वारा लिये गये बिल्डिंग कमेटी के एजेण्डा निर्णय संख्या 02 को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

संलग्नः बिल्डिंग कमेटी से अनुमोदित एजेण्डा निर्णय संख्या 02: : प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन

'सर्वानुमति से RSRDC द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर पर प्रस्तावित भवन निर्माण के नक्शे, डिजायन, एलिवेशन एवं प्लान का प्रजेन्टेशन फर्म के प्रतिनिधि श्री रमेश माथुर द्वारा किया गया, जिसके संलग्न प्रारूपों में स्वीकार कर अनुमोदन किया गया।

(संलग्नकः प्रारूप दस्तावेज एलिवेशन, बेसमेंट, तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल)

संलग्नः *प्रस्तावित प्रशासनिक भवन का प्लान मय संलग्न विस्तृत सूचनाओं के साथ।*

नोटः *विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के नक्शे, डिजायन, प्लान एवं अन्य सूचनाओं को साईट, पर्यावरण, कन्टूर्स, जलवायु, मिट्टी की प्रकृति, पानी का लेवल, तीनों तरफ की सड़कों के लेवल, प्रस्तावित प्लॉट के लेवल, स्थानीय तापमान इत्यादि सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया गया।'*

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: विश्वविद्यालय में भूमि की कमी के कारण वर्टिकल प्रशासनिक भवन का निर्माण तथा प्रशासनिक भवन में ही परीक्षा भवन, सैलर एवं कुलपति सचिवालय के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में भूमि की कमी के कारण वर्टिकल प्रशासनिक भवन का निर्माण तथा प्रशासनिक भवन में ही परीक्षा भवन, सैलर एवं कुलपति सचिवालय इत्यादि विभागों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर स्वीकृत किया जाता है।

संलग्नः बिल्डिंग कमेटी से अनुमोदित एजेण्डा निर्णय संख्या 03: : प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन

'विश्वविद्यालय के लिए कटराथल परिसर पर प्रस्तावित भवन निर्माण के संदर्भ में सर्वानुमति से निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि अत्यधिक कम है, अतः हॉरिजोन्टल के स्थान पर वर्टिकल भवन का निर्माण किया जाए तथा एक ही भवन में बहुभवनीय व्यवस्था को सम्मिलित किया जाये। यह भी निर्णय किया गया कि प्रशासनिक भवन, परीक्षा ब्लॉक, सैलर, कुलपति सचिवालय इत्यादि के लिए अलग–अलग भवनों की जगह इन सभी सुविधाओं को एक ही भवन में समाविष्ट कर भवन निर्माण किया जाये।

इस संदर्भ में एजेण्डा में संलग्न निम्न नोट्स के साथ स्वीकार कर अनुमोदित किया गया कि:

(अ) विश्वविद्यालय के पास में वर्तमान में मात्र 22 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है तथा यदि अलग–अलग भवनों को निर्माण किया गया तो भूमि अपर्याप्त रहेगी।

(ब) प्रशासनिक भवन के लिए आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा 1701.07 लाख रू. की राशि, परीक्षा के लिए 1461.39 लाख रू. की राशि एवं कुलपति सचिवालय 567.03 लाख रू. की राशि का अनुमानित व्यय बतलाया गया है, जिसमें सैलर भवन सम्मिलित नहीं है। अर्थात कुल अनुमानित व्यय 3729.49 लाख रू. होने के बावजूद सैलर भवन नहीं बन पायेगा, अतः संयुक्त (एकीकृत) भवन बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(स) एक ही भवन में उपरोक्त सभी व्यवस्था होने से प्रशासन की निरन्तरता, समन्वय, नियमन, नियंत्रण, समय प्रबंधन इत्यादि मुद्दों पर प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की जा सकेगी।

नोटः *उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का प्लान, डिजायन, नक्शा, एलिवेशन अन्य विश्वविद्यालयों के समान एवं समरूप बनाना संभव नहीं है, अतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं सम्बद्धित महाविद्यालयों की संख्या अत्यधिक होने के कारण अलग से बनाये जाने को स्वीकृति प्रदान की जाती है।'*

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: विश्वविद्यालय भवन के निर्माण हेतु सम्यक एवं समुचित वित्तीय प्रावधान हेतु विश्वविद्यालय की निजी आय से खर्च कर, राज्य सरकार द्वारा उस मद में पुनर्भरण के प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय भवन के निर्माण हेतु सम्यक एवं समुचित वित्तीय प्रावधान हेतु विश्वविद्यालय की निजी आय से खर्च कर, राज्य सरकार द्वारा उस मद में पुनर्भरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

संलग्नः बिल्डिंग कमेटी से अनुमोदित पूरक एजेण्डा निर्णय संख्या 02: : प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन

'सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन का निर्माण सतत एवं निरन्तर चले इसमें कोई अवरोध ना आये इस हेतु से यह निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार द्वारा आवंटित पैसे की राशि की किश्त देरी से प्राप्त होती है अथवा अतिरिक्त राशि का आवंटन होने में राज्य सरकार के स्तर पर देरी हो रही हो तो निर्माण करने वाली संस्था को बकाया पेमेंट विश्वविद्यालय की निजी आय से कर दिया जाये तथा तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा जब भी निर्माण अनुदान राशि आवंटित की जाती है, तब उस राशि को विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की गयी राशि के साथ समायोजित (पुनर्भरण) कर दिया जाये।'

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 11.10.2017 में अनुमोदित अन्य निर्णयों पर चर्चा।

1. **पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर की भूमि के आकृति (कान्टुर), सड़क से जमीन का लेवल, संयुक्त (एकीकृत) भवन का प्रस्ताव एवं शेखावाटी का शिल्प अलग होने के कारण यह नक्शा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से अलग रूप में प्रस्तावित है। भूमि की उपलब्धता, कन्टूरिंग का प्रकार, रोड लेवल, स्थानीय एवं पारम्परिक शिल्प के मध्यनजर नक्शा एवं प्लान से भिन्न होना स्वभाविक है। अतः उक्त परिस्थिति में एकीकृत भवन के अलग से बनाये गये प्लान एवं नक्शे की मंजूरी पर चर्चा:**

   निर्णयः—सर्वानुमति से निर्णय किया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर की भूमि के आकृति (कान्टुर), सड़क से जमीन का लेवल, संयुक्त (एकीकृत) भवन का प्रस्ताव एवं शेखावाटी का शिल्प अलग होने के कारण यह नक्शा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से अलग रूप में प्रस्तावित होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से भूमि की उपलब्धता, कन्टूरिंग का प्रकार, रोड लेवल, स्थानीय एवं पारम्परिक शिल्प के मध्यनजर नक्शा एवं प्लान से भिन्न होना स्वाभाविक है। अतः उक्त परिस्थिति में एकीकृत भवन में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न उक्त प्लान एवं नक्शे को स्वीकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या वर्तमान में अनुमानतः 500 है। अतः एकीकृत प्रशासनिक भवन एवं स्वतंत्र तथा भिन्न डिजायन/प्लान एवं नक्शे को स्वीकृत किया जाता है।

2. **पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: प्रस्तावित निर्माण पर अनुमानित लागत पर चर्चा: प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन**

   पूरक निर्णय एजेण्डा संख्या 01:— सर्वानुमति से बिल्डिंग कमेटी के निम्नांकित अवलोकन की सूचना ग्रहण की जाती है—

   ''प्रस्तावित प्रशासनिक भवन में समाहित निर्माण पर होने वाले अलग—अलग भवनों/विभागों के लिए आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा अलग—अलग राशि का अनुमान प्रस्तुत किया गया था (यद्यपि पूर्व अनुमानों में सैलर सम्मिलित नहीं था)। उक्त विवरणानुसार प्रस्ताावेत भवन के निर्माण की राशि पूर्व में प्रस्तुत कुल अनुमानित लागत से अधिक नहीं होगी। '' तदनानुसार टेण्डर दस्तावेज से अनुमानित खर्च का निर्धारण किया जायेगा।

   उक्त अवलोकन को ग्राह्य किया जाता है।

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव